

By Regd. Post

From,

Remesh Kumar (Malviya)  
Deputy Registrar(M),  
High Court of Judicature at,  
Allahabad.

Request - 32

To,

50 / The District Judge,  
Meerut.

No. 8313 /IV-3313/Admin.(A) dated 26-05-2016

Sub: Grant of personal pay under Voluntary Family Planning Programme to Sri Rakesh Patel, Addl. Chief Judicial Magistrate, Meerut

Sir,

With reference to your endorsement no. 1122/I dated 23-04-2016, on the above subject, I have to say that Sri Rakesh Patel has submitted only one declaration certificate out of two regarding grant of personal pay under Voluntary Family Planning Programme. It is further to inform you that in his letter Sri Rakesh Patel has mentioned that he has sterilized himself and in support of this fact he has submitted the vasectomy certificate issued by Medical Officer, P.P.C., Jaunpur alongwith his letter dated 11-02-2016 on which registration no. has not mentioned which appear to be incomplete and in absence of which matter can not be proceeded further.

Therefore, I am sending herewith original vasectomy certificate that was submitted by Sri Rakesh Patel and request you to ask Sri Rakesh Patel, Addl. Chief Judicial Magistrate, Meerut for resubmitting the same after completing the necessary formalities as well as duly filled declaration proforma (for those Govt. servants who are more than 40 years old & who have vasectomised themselves) enclosed herewith, to this Court, at the earliest so that further necessary action may be taken in the matter.

Encl: 1. Declaration proforma(one)

2. Vasectomy certificate of Sri Rakesh Patel.

Yours Faithfully,

24/05/16  
Deputy Registrar(M)

~~S.O. (Admin A) IDR(M)~~

Office has not submitted one declaration and complete vasectomy certificate. May like to issue?

23/05/16

23/05/16

24/05/16  
20/05

6028  
पत्रांक 437/25/16

T. 6P  
LSP  
29-4-16

8293  
30/4/16  
Reg. No. IV/3313  
Serial No. 49

प्रेषक,  
राकेश पटेल  
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय सं01,  
दीवानी न्यायालय, मेरठ।  
आई0डी0नम्बर 6335

1278  
27-4-16

सेवा में,  
माननीय महानिबंधक महोदय,  
माननीय उच्च न्यायालय,  
इलाहाबाद।

71516  
Regd. 92  
31/4/16  
12-5-16

द्वारा-माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय,  
मेरठ।

विषय :- पत्रांक सं0 4921/चतुर्थ-3313/एडमिन (ए)/इलाहाबाद : दिनांकित 19.03.2016, के संदर्भ में स्वैच्छिक परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यक्तिगत वेतनमान दिलाये जाने के संबंध में

महोदय,

ससम्मान निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थनापत्र दिनांक 12.2.2016 को, जिसे माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा पत्रांक सं0 437/प्रथम दिनांक 12.2.2016 को अग्रसारित करते हुए प्रेषित किया गया था, के संबंध में आप द्वारा निर्गत पत्रांक सं0 4921/चतुर्थ-3313/एडमिन (ए)/इलाहाबाद : दिनांकित 19.03.2016, मुझे प्राप्त हुआ है। उक्त पत्र के साथ कुल दो प्रारूप (घोषणा पत्र के संबंध में) भी प्राप्त हुआ है। प्रथम घोषणापत्र नियमानुसार भरकर इस पत्र के साथ सलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। दूसरा प्रारूप उन सरकारी सेवकों से संबंधित है जिनकी आयु 40 वर्ष से अधिक हो चुकी हो और जिन्होंने आपरेशन/नसबंदी नहीं करायी हो। चूंकि प्रार्थी द्वारा स्वयं को नियोजित (आपरेशन/नसबंदी) कराया जा चुका है। प्रार्थी की पत्नी किसी सरकारी/प्राइवेट संस्था में कार्यरत नहीं है। वह मात्र गृहिणी हैं, इसलिए उक्त दूसरे प्रारूप को भरकर प्रेषित किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं रह गयी है।

1356  
So Adm M/A

DRM  
28-4-16

20  
J.R.M  
w.e

अतः माननीय महोदय से सविनय निवेदन है कि प्रार्थी को नियमानुसार व्यक्तिगत वेतनमान का लाभ प्रदान किये जाने के संबंध में उचित आदेश पारित किये जाने हेतु प्रार्थनापत्र मय घोषणापत्र व प्रमाणपत्र, माननीय उच्च न्यायालय, के समक्ष प्रस्तुत करने का कष्ट करें। आपकी महान कृपा होगी।

सादर ससम्मान

दिनांक- 22.4.2016

Dr. Sankar J  
12/05/16

भवदीय  
Rakesh Patel  
22-4-16  
(राकेश पटेल)

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
न्यायालय संख्या-1, मेरठ।  
आईडी नम्बर - 6335

सलग्नक-

1. घोषणापत्र(मूल)
2. जन्म प्रमाणपत्र, हर्षल पटेल(फोटो प्रति)
3. जन्म प्रमाणपत्र, हार्दिक पटेल(फोटो प्रति)
4. आप द्वारा प्रेषित पत्र(फोटो प्रति)
- 5- सत्यपत्र फोटो प्रति हार्दिक पटेल का पत्र

(P.T.O)

कार्यालय जिला न्यायाधीश, मेरठ ।

पत्रांक 1122/I  
सेवा में,

दिनांक 23-04-2016

महानिबन्धक, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद को अग्रसारित।

*[Handwritten Signature]*  
23/4/2016  
जिला न्यायाधीश,  
मेरठ ।

*[Handwritten Mark]*

*[Handwritten Mark]*

Report 2

घोषणा-पत्र

1. आवेदक का नाम - - - - - राकेश - पटेल - - - - -
2. पदनाम व नियुक्ति का स्थान - अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भैरठ ।
3. जन्मतिथि - - 03-03-1973 - - - - -

हाईस्कूल प्रमाण पत्र को प्रमाणित प्रतिलिपि सौदित

4. दोनों बच्चों को जन्मतिथि प्रमाणित प्रमाण पत्र सौदित

{1} नाम - हर्षल पटेल - जन्मतिथि - - 15.09.2008 - -

{2} नाम - हार्दिक पटेल - जन्मतिथि - - 14.09.2011 - -

मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि मुझे अभी तक ग्रुपोरगर्नमेन्ट सर्वेन्ट्स रूल-1976 परिवार नियोजन के विषय में विशेष प्रावधान के अंतर्गत वैयक्तिक वेतन का लाभ नहीं मिला है ।

दिनांक: 22.4.16

Rakesh Patel  
आवेदक का हस्ताक्षर 22.4.16

पदनाम- A.C.M.-Ist Meerut.  
नियुक्ति का स्थान- Meerut.

000669588

MSIBUP-88

अनुक्रमी  
0783911  
Rev. 92

**माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश**  
**बोर्ड ऑफ हाईस्कूल एंड इण्टरमीडिएट एजुकेशन, यूपी**



**हाई स्कूल परीक्षा, १९८८**

प्रमाणित किया जाता है कि परिषद् के अभिलेखानुसार

**RAKESH PATEL**

आत्मज श्री **BECHAI DAS**

ने जिनकी जन्मतिथि

**3RD MARCH NINETEEN HUNDRED AND SEVENTY THREE (03-03-73)**

है, मार्च/अप्रैल, १९८८ की हाईस्कूल परीक्षा निम्नलिखित विवरण के अनुसार उत्तीर्ण की है :-

विषय :-

- 1 - HINDI      2 - ENGLISH      3 - MATHEMATICS TWO  
 4 - SCIENCE TWO    5 - SOCIAL SCIENCE    6 - BIOLOGY

CATEGORY OF MORAL EDUCATION - B

उत्तीर्ण श्रेणी **SECOND**

विद्यालय/केन्द्र **S P I C SONDHI LAXMI PUR GORAKHPUR**

प्रमाण पत्र क्रमांक **इलाहाबाद**  
**3117498**

दिनांक  
**19TH JUNE, 1988**

**महानन्द मिश्र**  
 (महानन्द मिश्र)

सचिव

'D' का अर्थ सम्बन्धित विषय में 'विषय योग्यता' है।  
 'HONOURS' का अर्थ 'सम्मान सहित उत्तीर्ण' है।  
 टीप :- विषय का पूर्ण विवरण पृष्ठ भाग पर अंकित है।

Attested  
*[Signature]*  
 North Eastern Regional Office  
 Gorakhpur

*[Signature]*  
 22-4-16

Regvat-92

सं./ No.

उ.प्र. सरकार

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH

Form-5



विभाग/

नगर पालिका परिषद जौनपुर  
(प्रमाण पत्र जारी करने वाले स्थानीय निकाय का नाम)

DEPARTMENT OF

NAGAR PALIKA PARISHAD JAUNPUR  
(Name of Local Body issuing certificate)

जन्म प्रमाण-पत्र

BIRTH CERTIFICATE

(जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 12/17 तथा उत्तर प्रदेश

जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम 03.01.2003 के नियम 8/13 के अंतर्गत जारी किया गया)

(Issued under Section 12/17 of the Registration of Births & Deaths) Act, 1969 and Rule 8/13 of...  
संशोधित नियम को अधिसूचित किये जाने का वर्ष 03.01.2003  
Year of notifying the revised rules

Uttar Pradesh  
Name of State

Registration of Births & Deaths Rules

03.01.2003

Year of notifying the revised rules

यह प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित सूचना जन्म के मूल लेख से ली गयी है, जो कि (स्थानीय क्षेत्र) जौनपुर तहसील सदर जिला जौनपुर राज्य उत्तर प्रदेश

के रजिस्टर में उल्लिखित है।

This is to certify that the following information has been taken from the original record of birth... is the register for (Local Area/Local Body) of tahsil/block Sadar Jaunpur of State/Union territory of District Jaunpur

नाम/Name: हार्दिक पटेल

लिंग /Sex: पुरुष

जन्म की तिथि/Date of Birth: 14/09/2011

जन्म का स्थान/Place of Birth: नकान

माता का नाम/Name of Mother: क्षमता पटेल

पिता का नाम/Name of Father: राकेश पटेल

बच्चे के समय माता पिता का पता/

Address of parents at the time of birth of the child : माता पिता का स्थायी पता/

मो0 हुसेनाबाद गंगापट्टी सदर जौनपुर ।

Permanent address of the parents : मो0 हुसेनाबाद गंगापट्टी सदर जौनपुर ।

पंजीकरण संख्या/Registration No 6416

पंजीकरण दिनांक/Date of Registration 25/08/2011

टिप्पणी/Remarks(if any)

जारी करने की तिथि/Date of Issue

25/08/2011

प्राधिकारी के हस्ताक्षर/Signature of the issuing authority

प्राधिकारी का पता/Address of the issuing authority



मोहर/Seal

"Ensure registration of every birth and death/प्रत्येक जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण सुनिश्चित करें।"

Res

स. No.

उ.प्र. सरकार

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH

Form-5



विभाग/ नगर पालिका परिषद जौनपुर  
(प्रमाण पत्र जारी करने वाले स्थानीय निकाय का नाम)  
DEPARTMENT OF NAGAR PALIKA PARISHAD JAUNPUR  
(Name of Local Body issuing certificate)



जन्म प्रमाण-पत्र  
BIRTH CERTIFICATE

(जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 12/17 तथा उत्तर प्रदेश

जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम 03.01.2003 के नियम 8/13 के अंतर्गत जारी किया गया)  
(राज्य का नाम)

संशोधित नियम को अधिस्तुत किये जाने का वर्ष  
(Issued under Section 12/17 of the Registration of Births & Deaths) Act, 1969 and Rule 8/13 of...

Uttar Pradesh Registration of Births & Deaths Rules 03.01.2003  
Name of State Year of notifying the revised rules

यह प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित सूचना जन्म के मूल लेख से ली गयी है, जो कि (स्थानीय क्षेत्र)  
जौनपुर तहसील सदर जिला जौनपुर राज्य उत्तर प्रदेश

के रजिस्टर में उल्लिखित है।

This is to certify that the following information has been taken from the original record of birth...

is the register for (Local Area/Local Body) Jaunpur  
of tahsil/block Sadar of District Jaunpur  
of State/Union territory Uttar Pradesh

नाम/Name : हर्षल पटेल

लिंग /Sex : पुरुष

जन्म की तिथि/Date of Birth : 15/09/2008

जन्म का स्थान/Place of Birth :

नकान

माता का नाम/Name of Mother : क्षमता पटेल

पिता का नाम/Name of Father : राकेश पटेल

बच्चे के समय माता पिता का पता/

माता पिता का स्थायी पता/

Address of parents at the time of birth of the child :  
मो0 हुसैनाबाद गंगापट्टी सदर जौनपुर ।

Permanent address of the parents :  
मो0 हुसैनाबाद गंगापट्टी सदर जौनपुर ।

पंजीकरण संख्या/Registration No 6428

पंजीकरण दिनांक/Date of Registration

टिप्पणी/Remarks(if any)

25/08/2011

जारी करने की तिथि/Date of Issue

25/08/2011



प्राधिकारी के हस्ताक्षर/Signature of the issuing authority

प्राधिकारी का पता/Address of the issuing authority

नगर पालिका परिषद, जौनपुर

मोहर/Seal

"Ensure registration of every birth and death/प्रत्येक जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण सुनिश्चित करें।"

Request-92

for

By Regd. Post

From,

S.S. Gautam,  
Deputy Registrar(M),  
High Court of Judicature at,  
Allahabad.

To,

Sri Rakesh Patel,  
Addl. Chief Judicial Magistrate,  
Court No. 9, Meerut.

*Request - 42*

No. **4921** /IV-3313/Admin.(A)/Allahabad: dated **19-03-2016**

Subject: Grant of Personal Pay under Voluntary Family Planning Programme.

Sir,

With reference to your dated 11-02-2016, on aforementioned subject, I am sending herewith two proformas of declaration regarding grant of personal pay under Voluntary Family Planning Programme which have not been submitted alongwith aforesaid letter and in absence of which matter can not be proceeded further.

I am, therefore, to request you to kindly furnish two duly filled enclosed declarations proformas in all respect & alongwith a certificate stating that your wife is not getting any financial benefit under voluntary family planning programme, if she is in Govt. service, to this Court at the earliest so that further necessary action may be taken in the matter.

Encl. Two declaration proforma.

Yours faithfully,

*S.S. Gautam*  
15.3.16

Deputy Registrar(M)

8  
15/3/16




छोटा परिवार  
सुखी परिवार

परिवार कल्याण कार्यक्रम

जनपद-जौनपुर

लाभार्थी

प्रमाण-पत्र



चिकित्सा स्वास्थ्य एवं  
परिवार कल्याण विभाग  
जौनपुर

यंजीकरण संख्या .....

प्रमाणित किया जाता है कि

श्री/श्रीमती राजेश प्रिय

(जिनका हस्ताक्षर अंगूठा निशानी तथा पहचान चिन्ह अंकित)

पुत्र/पत्नी वेचइ यात्रा प्रिय

निवासी जिजावली  
लाइ नवाजाल

पूरा पता :

जिला जौनपुर ने आज दिनांक 30.4.15

को 4500 केन्द्र पर अपना नसबन्दी

आपरेशन कराया।

नसबन्दी आपरेशन किये गये व्यक्ति का पहचान चिन्ह

निशानी-अंगूठा

या हस्ताक्षर

अधीक्षक / प्रभारी चिकित्सा अधिकारी

साओ स्वाओ केन्द्र / प्राओ स्वाओ केन्द्र

Medical Officer

P. P. C. Jaunpur

*B/L - NSV done*

*Report 52*

By Regd. Post

From,

S.S. Gautam,  
Deputy Registrar(M),  
High Court of Judicature at,  
Allahabad.

Request-52

To,

Sri Rakesh Patel,  
Addl. Chief Judicial Magistrate,  
Court No. 9, Meerut.

No. <sup>48</sup>/<sub>4921</sub> /IV-3313/Admin.(A)/Allahabad: dated 19-03-2016

Subject: Grant of Personal Pay under Voluntary Family Planning Programme.

Sir,

With reference to your dated 11-02-2016, on aforementioned subject, I am sending herewith two proformas of declaration regarding grant of personal pay under Voluntary Family Planning Programme which have not been submitted alongwith aforesaid letter and in absence of which matter can not be proceeded further.

I am, therefore, to request you to kindly furnish two duly filled enclosed declarations proformas in all respect & alongwith a certificate stating that your wife is not getting any financial benefit under voluntary family planning programme, if she is in Govt. service, to this Court at the earliest so that further necessary action may be taken in the matter.

Encl. Two declaration proforma.

Yours faithfully,

SS Gautam  
11.3.16

Deputy Registrar(M)

SD (Admin A1) / DR(M)

May kindly see below placed  
letter dated 11.02.2016 of Sri Rakesh  
Patel & May like to issue?

Janit  
10.03.16

SS Gautam  
10/03/16

6415  
अपरेटर  
17/2/16

Saahil  
24-2-16  
Encl (4) page

25-2-16

454

3313

5/3/16

9-3-16

Page no 2

963  
22-2-16

प्रेषक,

राकेश पटेल,  
अपर मुख्य न्यायिक मजि०,  
न्यायालय सं० ९, दीवानी न्यायालय, मेरठ ।  
आई०डी० नं०-6335

सेवा में,

महानिबंधक,  
माननीय उच्च न्यायालय,  
इलाहाबाद ।

द्वारा : माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय,  
दीवानी न्यायालय, मेरठ ।

महोदय,

ससम्मान निवेदन है कि प्रार्थी दीवानी न्यायालय, जनपद मेरठ में अपर मुख्य न्यायिक मजि०, न्यायालय सं०-९, मेरठ के पद पर कार्यरत है। प्रार्थी की जन्मतिथि 03.03.73 है। दि० 04.03.13 को प्रार्थी की आयु 40 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। प्रार्थी के पास दो बच्चे हैं, जिनकी आयु क्रमशः 8 वर्ष व 6 वर्ष है ।

प्रार्थी द्वारा परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत दि० 30.04.15 को स्वयं को नियोजित (ऑपरेशन) करा लिया गया है। परिवार कल्याण कार्यक्रम के शासनादेश सं० 4601/1611-79-79/155/79 दिनांकित 23.02.80 तथा संशोधित अर्धशासकीय आ०सं० जी(2) 491(X) 131 दिनांकित 20.06.13 के अंतर्गत परिवार को दो बच्चों तक सीमित रखने पर वैयक्तिक वेतनमान का लाभ दिये जाने का प्रावधान है। प्रार्थी उक्त शासनादेश के अंतर्गत आक्षादित है ।

अतः माननीय महोदय से ससम्मान निवेदन है कि प्रार्थी को नियमानुसार वैयक्तिक वेतनमान का लाभ प्रदान किये जाने के संबंध में न्यायोचित आदेश पारित किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का कष्ट करें। आपकी महान कृपा होगी ।

धन्यवाद !

प्रार्थी,

Rakesh Patel  
11-2-16

(राकेश पटेल)

अपर मुख्य न्यायिक मजि०,  
न्यायालय सं०-९, मेरठ ।

दि०: 11.02.2016

24 F : B 2016

(2)  
DRCM

with Encl (4) page

संलग्नक:-

- 1- सनद हाई स्कूल ।
- 2- परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत जारी मूल प्रमाण-पत्र ।
- 3- मूल शपथपत्र/घोषणा पत्र ।

699  
S.O. Adm 4/1A

D.R. (m)  
23-2-16

Smt. Sarita

10/2/16

कार्यालय जिला न्यायाधीश, मेरठ।


पत्रांक:- 4371I

दिनांक:- 1-2-2016

सेवा में, महानिबन्धक, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को अग्रसारित।

जिला न्यायाधीश,  
मेरठ।  
**जिला न्यायाधीश**  
**मेरठ**

Request 42



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

घोषणा-पत्र

96AC 436371

मैं राकेश पटेल पुत्र श्री बेचई दास, सिविल जज (सी0डि0)/अप्र मुख्य न्यायिक मजि0, न्यायालय सं0-9, मेरठ, घोषणा करता हूं कि निम्नलिखित कथन मेरे निजी ज्ञान में है, जो सही है :-



- 1- यह कि मेरी आयु दि0 04.03.2013 को 40 वर्ष पूर्ण हो चुकी है ।
- 2- यह कि मेरे 2 बच्चे हैं, जिनकी आयु क्रमशः 8 वर्ष व 6 वर्ष है ।
- 3- यह कि मेरे द्वारा परिवार नियोजन कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत दि0 30.04.2015 को स्वयं को नियोजित (ऑपरेशन) करा लिया गया है ।
- 4- यह कि यदि कोई तीसरी संतान पैदा होती है, तो इसकी सूचना माननीय महोदय को अविलम्ब प्रेषित करूंगा और मेरे द्वारा तब तक प्राप्त की गयी सामस्त वैयक्तिक लाभ की धनराशि माननीय उच्च न्यायालय को स्वेच्छया वापस कर दूंगा ।

दिनांक: 11.2.16  
 श्री राकेश पटेल, श्री बेचई दास

Certified that Shri. Raksh Patel, Shri. Bechai Das  
 Resident of, A.S.M. 9 Dohra Gao, Distt. Meerut  
 Identified by Shri. Rajesh Garg, Advocate  
 were the deponent of the affidavit on oath  
 before me before RAJESH GARG Advocate,  
 Meerut Fee Rs. 15/- per deponent Attested.

NOTARY

अखिलेश कुमार  
 एडवोकेट, मेरठ  
 रजि0 नं0 2741/2008

घोषणाकर्ता,  
 (राकेश पटेल)  
 अप्र मुख्य न्यायिक मजि0,  
 न्यायालय सं0-9, मेरठ ।

क्रमांक	8
स्वाम्य का पुराना संख्या	10 (पुराना) फिलिप लप्ये
खरीदार का नाम	राजेश्वर पटेल 8/6 चेचई डाक
पता	D-146 शीतली गांव मीठ
लेखपत्र का प्रकार एवं मूल्य	
एवं स्वाम्य रजिस्ट्री का प्रमाणिक	
स्वाम्य विवेका का नाम	श्रीमति रेनुका
साईलिंग संख्या/वर्ष	MT-08/2015-18
विक्रय स्थल का नाम	सिविल कोर्ट परिसर
विक्रय का दिनांक	02.16
	हस्ताक्षर

258A-1-2

000669588

0703911

Revised-92

HSIBUP-88

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश  
 बोर्ड ऑफ हाईस्कूल एंड इण्टरमीडिएट एजुकेशन, यूपी



हाई स्कूल परीक्षा, १९८८

प्रमाणित किया जाता है कि परिषद् के अभिलेखानुसार

RAKESH PATEL

आत्मज श्री BECHAI DAS

ने जिनकी जन्मतिथि

3RD MARCH NINETEEN HUNDRED AND SEVENTY THREE (03-03-73)

है, मार्च/अप्रैल, १९८८ की हाईस्कूल परीक्षा निम्नलिखित विवरण के अनुसार उत्तीर्ण की है :-

विषय :-

- 1 - HINDI      2 - ENGLISH      3 - MATHEMATICS TWO  
 4 - SCIENCE TWO      5 - SOCIAL SCIENCE      6 - BIOLOGY

CATEGORY OF MORAL EDUCATION - B

उत्तीर्ण श्रेणी SECOND

विद्यालय/केन्द्र S P I C SONDHI LAXMIPUR GORAKHPUR

प्रमाण पत्र क्रमांक इलाहाबाद  
 3117498

दिनांक  
 19TH JUNE, 1988

महानन्द मिश्र  
 (महानन्द मिश्र)  
 सचिव

'D' का अर्थ सम्बन्धित विषय में "विषय योग्यता" है।  
 HONOURS का अर्थ "सम्मान सहित उत्तीर्ण" है।  
 टीप :- विषय का पूर्ण विवरण पृष्ठ भाग पर अंकित है।

Attested  
 Panel

Rakesh Patel



राजीव कुमार,  
प्रमुख सचिव,  
उच्च न्यायालय,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

माननीय न्यायाधीश,  
उच्च न्यायालय,  
इलाहाबाद।

56  
A.K.  
11/7/13

Request-92

नियुक्ति अनुभाग-4

लखनऊ: दिनांक; 02 जुलाई, 2013

विषय:- उत्तर प्रदेश राज्य की अन्य सेवाओं की भर्ती उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा एवं उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों को स्वैच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत अतिरिक्त प्रोत्साहन दिये जाने की व्यवस्था।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चिकित्सा विभाग के शासनादेश संख्या-4601/16-11-79-9-155-99, दिनांक 23-02-1980 द्वारा स्वैच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारियों को अतिरिक्त प्रोत्साहन दिये जाने की व्यवस्था की गयी है।

2- वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-जी-2-1985/दस-2008-339/2008, दिनांक 11-12-2008 द्वारा सरकारी सेवकों को पुनरीक्षित वेतन संरचना में ग्रेड पे के आधार पर 01 दिसम्बर, 2008 से स्वैच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुमन्य वैयक्तिक वेतन की पुनरीक्षित दरें निर्धारित की गयी हैं।

3- उत्तर प्रदेश राज्य की अन्य सेवाओं की भर्ती उपरोक्त उल्लिखित शासनादेशों में निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा एवं उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों को स्वैच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्न तालिका के अनुसार वैयक्तिक वेतन की सुविधा की अनुमन्यता तात्कालिक प्रभाव से प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र. सं०	पदनाम	वेतनमान	सदृश्य ग्रेड पे	वैयक्तिक वेतन की पुनरीक्षित धनराशि (रूपये)
1-	सिविल जज (जू०डि०)	27,700-44,700	5400	550
2-	सिविल जज (सी०डि०)	39,530-54,010	7600	750
3-	जिला जज	51,550-63,070	10,000	1,000

4- इस सम्बन्ध में जारी शासनादेश संख्या-4601/16-11-79-9-155-99, दिनांक 23-02-1980 व समय-समय पर निर्गत शासनादेश उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे। शासनादेशों की अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेंगे।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- G(2)491/X/13, दिनांक 20-06-2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,  
(राजीव कुमार)  
प्रमुख सचिव

.....2

Rajeev Kumar